<u>बिहार सरकार</u>

<u>विज्ञान, प्रौधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग</u>

**ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथिः–21.09.2026–9:00 AM    ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः–15.10.2026–6:00 PM**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार एव उसके अधीनस्थ संस्थानों/कार्यालयों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल(Young Professionals) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् हैः–

| क्र० सं० | पद | अनारक्षित | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | | पिछड़ा वर्ग | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | कुल पद | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए क्षैतिज आरक्षण (2%) के तहत कुल पद | दिव्यांग हेतु आरक्षित क्षैतिज आरक्षण (4%) के तहत कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | | | | | |
| 1. | यंग प्रोफेशनल–1 कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | यंग प्रोफेशनल–1 सिविल इंजीनियरिंग | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | यंग प्रोफेशनल–1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | यंग प्रोफेशनल–1 इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | यंग प्रोफेशनल–2 कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | यंग प्रोफेशनल–2 इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | यंग प्रोफेशनल–2 सिविल इंजीनियरिंग | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | यंग प्रोफेशनल–2 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | यंग प्रोफेशनल–3 जियोइन्फोरमेटिक्स/सर्वेयिंग टेक्नोलॉजी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | यंग प्रोफेशनल–3 कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | यंग प्रोफेशनल–3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 |

2. शैक्षणिक योग्यताः–

| क्र०सं० | पद | अर्हता |
|---|---|---|
| 1. | यंग प्रोफेशनल–1<br>कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग | न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक के साथ कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण |
| 2. | यंग प्रोफेशनल–1<br>सिविल इंजीनियरिंग | न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण |
| 3. | यंग प्रोफेशनल–1<br>इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण |
| 4. | यंग प्रोफेशनल–1<br>इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग | न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक के साथ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण |
| 5. | यंग प्रोफेशनल–2<br>कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग में बी०टेक० एवं अंतिम तीन वर्षों के वैध (Valid) Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) स्कोर (जिस भी वर्ष में अधिकतम हो) अर्जित किया हो। |
| 6. | यंग प्रोफेशनल–2<br>इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में बी०टेक० एवं अंतिम तीन वर्षों के वैध (Valid) Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) स्कोर (जिस भी वर्ष में अधिकतम हो) अर्जित किया हो। |
| 7. | यंग प्रोफेशनल–2<br>सिविल इंजीनियरिंग | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बी०टेक० एवं अंतिम तीन वर्षों के वैध (Valid) Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) स्कोर (जिस भी वर्ष में अधिकतम हो) अर्जित किया हो। |
| 8. | यंग प्रोफेशनल–2<br>इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी०टेक० एवं अंतिम तीन वर्षों के वैध (Valid) Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) स्कोर (जिस भी वर्ष में अधिकतम हो) अर्जित किया हो। |
| 9. | यंग प्रोफेशनल–3<br>जियोइन्फोरमेटिक्स / सर्वेयिंग टेक्नोलॉजी | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ जियोइन्फोरमेटिक्स / सर्वेयिंग टेक्नोलॉजी में एम०टेक० एवं अभ्यर्थी द्वारा एम.टेक. में प्रवेश वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) स्कोर के आधार पर लिया गया होना चाहिए। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा अपने नियमों के अनुसार GATE के अतिरिक्त अन्य विधिसम्मत चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से एम.टेक. में लिया गया प्रवेश भी मान्य होगा। |
| 10. | यंग प्रोफेशनल–3 कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग में एम०टेक० एवं अभ्यर्थी द्वारा एम.टेक. में प्रवेश वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) स्कोर के आधार पर लिया गया होना चाहिए। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा अपने नियमों के अनुसार GATE के अतिरिक्त अन्य विधिसम्मत चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से एम.टेक. में लिया गया प्रवेश भी मान्य होगा। |
| 11. | यंग प्रोफेशनल–3<br>इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एम०टेक० एवं अभ्यर्थी द्वारा एम.टेक. में प्रवेश वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) स्कोर के आधार पर लिया गया होना चाहिए। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा अपने नियमों के अनुसार GATE के अतिरिक्त अन्य विधिसम्मत चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से एम.टेक. में लिया गया प्रवेश भी मान्य होगा। |

नोटः–उक्त के अलावे यंग प्रोफेशनल (Young Professional) के चयन संबंधी नीति 2026 में वर्णित पात्रता के सभी मापढंड लागू होंगें।

3. उम्र सीमा एवं मानदेय :–

| क्र०सं० | पद | न्यूनतम | अधिकतम | मानदेय(₹) प्रति माह |
|---|---|---|---|---|
| 1. | YP-1 | 18 | 28 | 40,000 |
| 2. | YP-2 | 22 | 28 | 50,000 |
| 3. | YP-3 | 24 | 28 | 60,000 |

नोट–(i) पी०एच०डी० उपाधि धारकों की अधिमतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।

(ii) उम्र के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि 01.08.2026 होगी।

(iii) संतोषजन कार्य के आधार पर मानदेय में प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

4. चयन का आधारः– यंग प्रोफशनल (Young Professional) के चयन संबंधी नीति 2026 में वर्णित विहित प्रक्रिया के अनुरूप। उक्त नीति विभागीय बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/dst/citizeHome.html पर देखी जा सकती है।

5. आरक्षण–

(i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमो के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) आरक्षण का लाभ नियमानुसार बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी मूल निवास प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को स्थायी निवास के अंचल द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति समर्पित करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को स्थायी निवास के अंचल द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622. दिनांक– 26.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक–23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

| क्र०सं० | आरक्षित कोटि | ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि | कोटि कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित | UR | 01 |
| 2. | अनुसूचित जाति | SC | 02 |
| 3. | अनुसूचित जनजाति | ST | 03 |
| 4. | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | EBC | 04 |
| 5. | पिछड़ा वर्ग | BC | 05 |
| 6. | पिछडे वर्ग की महिला | BCL | 06 |
| 7. | अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | EWS | 07 |

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–12575, दिनांक–09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन / साक्षत्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–..15.10.2026–6:00 PM तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोटः– (a) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से वांछित सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ / शर्त /जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(b) विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन/साक्षत्कार के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र / अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii)संबंधित संकाय में डिप्लोमा / बी०टेक० / एम०टेक० का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)

(iv) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र)।

(v) बिहार राज्य के स्थायी निवासी हेतु अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(vi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र। (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।

(vii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) ।

(viii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो।

(iX) हाल की खींची हुई 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो।

(X) भरे गये ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार के समय अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उन्हें अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

नोट– यह नियुक्ति यंग प्रोफशनल (Young Professional) के चयन संबंधी नीति 2026 में निहित प्रावधानों के आलोक में पूर्णतः संविदा आधारित होगी एवं इस नियुक्ति के आधार पर स्थायी नियुक्ति संबंधित कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

**नोट–(i) केवल ऑनलाइन आवेदन (dstteonline.bihar.gov.in) ही मान्य होंगें।**

**(ii) भौतिक रूप से समर्पित आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।**